

सब्य में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबंध में ।

K. P. D. D.
महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं Shri Aminwar Khahm) अमिनवार खान

ग्राम. हाम्पा पो. विश्वना थाना विश्वना

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा हाम्पा
2. थाना विश्वना
3. थाना न० I
4. खारता न० 17 8 15
5. प्लॉट न० 347, ~~348~~ रकबा 6-15/2 रकबा 2.65 Limit 348-रकबा 1.50/प्लॉट 2 रकबा 1.50
6. रकबा 4.15 570
7. भूमि का किस्म उद्योगी
8. अधतन रसिद न० 701954521
9. दा० खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण

पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अनारी रहूँगा ।

निश्चय



म. पी. व. र. व. र.

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....371/2022

आवेदिका अमिनवा खातुन पति उद्दीन मियाँ, साकिन-झलपो, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया है।

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
झलपो	01	17	347	2.65 डी०	रैयती
		15	348	1.5 डी०	

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 29/11/2022 को प्रस्तुत करें।



29/11/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-झलपो, थाना नं०-01, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-347, रकवा-06 डी०, प्लॉट सं०-142 वगै० कुल रकवा-3.49.67 ए० भूमि रमजान मियाँ पिता झरी मियाँ, बीबी अमीनवा पति मो० उद्दीन के नाम से जमाबन्दी दर्ज है। पंजी-II के पृष्ठ सं०-53 भाग सं०-11 पर खाता सं०-15, प्लॉट सं०-348, रकवा-1.5 डी० प्लॉट सं०-419 वगै० कुल रकवा-8.5 डी० अमीना खातुन पति मो० उद्दीन मियाँ के नाम से दर्ज हैं ऑनलाइन प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-302/2014-15 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-1132 दिनांक-09.03.1949 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-38 दिनांक-09.09.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है मौजा-झलपो, थाना नं०-01, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-347, रकवा-2.65 डी० एवं खाता सं०-15, प्लॉट सं०-348, रकवा-1.5 डी० कुल रकवा-4.15 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-झलपो, थाना नं०-01, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-347, रकवा-2.65 डी० एवं खाता सं०-15, प्लॉट सं०-348, रकवा-1.5 डी० कुल रकवा-4.15 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


29/11/22
अंचल अधिकारी,
कोडरमा